

2018/00285

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम अरवड की जमाबंदी संवत् २०३२ के खाता संख्या २५४ में ~~प्रार्थी का नाम~~ की जाति नगर दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम / की जाति दोरेगा दर्ज है। अतः उक्त खाते में ~~प्रार्थी का नाम~~ की जाति नगर के बजाय दोरेगा दर्ज किया जाना उचित होगा।

(Handwritten mark)

योगेश कुमार जाखड़
पटवारी
पटवार मण्डल अरवड
तह. फूलिया कलां (भीलवाड़ा)

राजस्थान लोक अदालत अभिगण रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार
"नायब आयोग दार-२०१८"

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जांच ILR खंडीचन स्विकार योग्य है।

तहसीलदार फूलिया कलां (भीलवाड़ा)

प.सं. ३०१/१८

राजस्थान लोक अदालत अभिगण
"नायब आयोग दार-२०१८"
आदेश कैम्प अरवड दिनांक ५/६/१८

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार फूलिया कलां के ग्राम अरवड की जमाबंदी संवत् २०३२-२०३५ की खता सं. २५४ में दर्ज चमार के स्थान पर नगर नाम लिखने का आदेश दिया जाता है।

पालनाथ तहसीलदार फूलिया कलां को भेजा जावे।



सपखण्ड आवेकार
फूलिया कलां (भीलवाड़ा) राज
उपखण्ड अधिकारी

फूलिया कलां